मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 (फाल्गुन 23, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 101 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम की कृषि मण्डी में स्थान की कमी होने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम बाढ़ई सहराना में विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने,
(3) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा जिले के त्योंथर उदवहन सिंचाई योजना के डूब प्रभावितों को बसने हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने,
(4) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन के ग्राम नोनिया बरेली में शाला का उन्नयन किये जाने,
(5) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की शाहगढ़ में सराफा व्यापारी को गोली मार कर लूटे जाने,
(6) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा के ग्राम रजेगांव की जमीन का भू-अर्जन करने से समस्या उत्पन्न होने,
(7) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य की जिला सतना में फर्जी पंजीयन कराकर सामूहिक विवाह में एक महिला का विवाह कराये जाने,
(8) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल के मोतिया तालाब स्थित फुटपाथ पर कब्जा किये जाने,
(9) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ सहकारी समिति द्वारा अपात्र कृषकों को ऋण माफी का लाभ दिये जाने तथा
(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि न दी जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पारसचंद जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

(श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा सहित कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण उनकी ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा अध्यक्ष महोदय की समझाइश के पश्चात् अपने आसनों पर वापस गए।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 6 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में फर्शी खदानों पर रायल्टी की अवैध वसूली होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं श्री अजय सिंह, सदस्यगण ने शहडोल के तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी पर दोष सिद्ध होने के बाद भी कार्रवाई न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(3) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकानों का अधिक सरचार्ज लिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक एवं के.पी. सिंह, सदस्यगण ने शिवपुरी जिले के नरवर में मंगरानी उदवहन सिंचाई योजना की नहर का कार्य अपूर्ण होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद के नर्मदा पुल से इटारसी तक सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय को राजपत्र में अधिसूचित न किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(2) श्री रामगरीब कोल (जिला-रीवा)
(3) श्रीमती रेखा यादव (जिला-छतरपुर)
(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
(5) श्री भगवान सिंह राजपूत (जिला-रायसेन)
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)

6. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपने एवं परिवार के चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे गए :-

(1) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री
(2) श्री पारसचंद जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा
(4) श्री मनोहर ऊंटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-3)	श्री यादवेन्द्र सिंह	45 मिनट
2.	(क्रमांक-26)	श्री पांचीलाल मेड़ा	45 मिनट
3.	(क्रमांक-31)	डॉ. गोविन्द सिंह	1 घन्टा

श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अलकेश आर्य, सभापति ने याचिका समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां, तैतीसवां, चौतीसवां एवं पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सभापति ने लोक लेखा समिति का 187 वां से 200 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची में उल्लेखित विधेयक को भारसाधक मंत्री की अनुपस्थितिवश बाद में पुर:स्थापित करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा आज की कार्यसूची में उल्लेखित मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) को भारसाधक मंत्री की अनुमति सहित अनुपस्थिति के कारण, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित करने सम्बन्धी घोषणा की गई।

9. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5, 6 7, 8, 12 एवं 13 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(20) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो हजार पांच सौ तेईस करोड़, इकतालीस लाख, छिहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधीत लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल के लिए छह सौ तैंतीस करोड़, बहत्तर लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए पांच सौ निन्यानवे करोड़, पंचानवे लाख चौसठ हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री प्रदीप जायसवाल
(4) श्री मनीराम धाकड़
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री राधेश्याम पाटीदार
(9) श्रीमती साधना स्थापक
(10) श्री बाबूलाल वर्मा
(11) श्री श्रीकांत दुबे
(12) श्री पारस सकलेचा
(13) श्री राधेलाल बघेल
(14) श्री सुदर्शन गुप्ता
(15) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(16) राव देशराज सिंह यादव
(17) श्री भगत सिंह नेताम
(18) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(19) श्री सुरेश चौधरी
(20) श्री देवेन्द्र वर्मा
(21) श्री रामलखन सिंह
(22) श्री के.पी. सिंह
(23) श्रीमती सुलोचना रावत
(24) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री नागेन्द्र सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(21) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए पांच हजार चार सौ नब्बे करोड़, चवालीस लाख, छियासठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक हजार पांच सौ तेईस करोड़, छिहत्तर लाख, चवालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री राधेलाल बघेल
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री शंकरलाल तिवारी
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह
(8) श्रीमती गीता उइके
(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता
(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री भगत सिंह नेताम
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(14) राव देशराज सिंह यादव
(15) श्री रामलाल मालवीय
(16) श्री राजेन्द्र वर्मा
(17) श्री चम्पालाल देवड़ा

श्रीमती अर्चना चिटनीस ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(22) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, साठ लाख, अठहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता
(6) श्री श्रीकांत दुबे

श्री जगन्नाथ सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(23) श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए नौ सौ नवासी करोड़, चौहत्तर लाख, छियानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप जायसवाल
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री ब्रजराज सिंह

श्री गौरीशंकर बिसेन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013 (फाल्गुन 24, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 मार्च, 2013